मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन–भोपाल–462004

क्रमांक 708 / 1346 / 2016 / आ.प्र. / एक, भोपाल, दिनांक 24 / 09 / 2016

प्रति

श्री कमलेश जोशी
टेक्निकल डायरेक्टर
एन.आई.सी., मंत्रालय
भोपाल

विषयः–राज्य की अनुसूचित जनजाति की सूची के क्रमांक 16 पर ''गोंड, गोवारी'' जाति को पोर्टल में अपलोड करने के संबंध में ।

––0––

कृपया उपरोक्त विषयान्तर्गत सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी पत्र क्रमांक 89 / 642 / 2011 / आ.प्र. / एक, दिनांक 12.01.2012 एवं क्रमांक एफ 7–7 / 2007 / आ.प्र. / एक, दिनांक 17.06.2016 की प्रति संलग्न प्रेषित कर अनुरोध है कि साफ्टवेयर में अंकित अनुसूचित जनजाति की सूची में उक्त पत्र में किए गए उल्लेखानुसार सुधार करने का कष्ट करे ।

संलग्न – उपरोक्तानुसार

(के.के. कातिया)
अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

letter-2-2016.doc

म.प्र. मंत्रालय
सामान्य प्रशासन विभाग
कक्ष 7-1
पंजी क्र. 2800
दिनांक 21/06/16

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल – 462004

क्रमांक एफ 7–7/2007/आ.प्र./एक, भोपाल, दिनांक /06/2016

प्रति

समस्त कलेक्टर
मध्यप्रदेश ।

विषयः–गोंड, गोवारी जाति के व्यक्तियों को जाति प्रमाण पत्र ज़ारी करना ।

संदर्भः–इस विभाग का समसंख्यक परिपत्र दिनांक 03.09.2008 एवं क्रमांक 89/642/आ.प्र./एक, दिनांक 12.01.2012

—0—

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित परिपत्र द्वारा निर्देश जारी किये गये थे कि मध्यप्रदेश राज्य के लिये घोषित अनुसूचित जनजाति की सूची के सरल क्रमांक 16 पर गोंड, गोवारी जाति अंकित है । सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 11 जुलाई, 2005 द्वारा अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों को जाति प्रमाण पत्र जारी किये जाने की प्रक्रिया संबंधी निर्देश जारी किये गये है । इन निर्देशों के अनुसार प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच कर गोंड, गोवारी समुदाय के लोगों को जाति प्रमाण पत्र जारी किये जाएं ।

2/ शासन के ध्यान में यह तथ्य लाया गया है कि गोंड, गोवारी जाति के व्यक्तियों को जाति प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में जारी उपर्युक्त संदर्भित परिपत्र के निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है । यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि जातियों की सूची में गोंडगोवारी एक नहीं है बल्कि गोंड, गोवारी पृथक–पृथक है ।

3/ अतः सामान्य प्रशासन विभाग के उपर्युक्त संदर्भित परिपत्र दिनांक 03.09.2008 एवं 12.01.2012 की प्रति संलग्न कर पुनः निर्देशित किया जाता है कि गोंड, गोवारी जाति के व्यक्तियों को जाति प्रमाण पत्र जारी किये जाने संबंधी प्रकरणों का विभागीय परिपत्र दिनांक 11 जुलाई 2005 एवं 13 जनवरी 2014 मे दिये गये निर्देशों के तहत परीक्षण कर निराकृत करने का कष्ट करें ।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार ।

(के. के. कातिया)
अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

Joshiji for uploading
21/06/16

Letter-2-2016.doc

पृ.क्र. एफ 7–7 / 2007 / आ.प्र. / एक, भोपाल, दिनांक 17 / 06 / 2016

प्रतिलिपिः–

1. श्री अरूण कुमार मण्डलवार, प्रांतीय अध्यक्ष, गोवारी समाज संगठन, वार्ड नं.–13, संत रविदास भवन के पास, बुढ़ी, बालाघाट को सूचनार्थ प्रेषित ।
2. अवर सचिव, म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (स्थापना शाखा) मंत्रालय, भोपाल की ओर सा.प्र.वि. की वेबसाईट मे अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित ।

अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग